न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –156 / 2023

1. आदराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. बेअन्त सिंह पुत्र दिलावरसिंह जाति जटसिख निवासी दलुवाला तहसील मोगा जिला फिरोजपुर।
2. बुटासिंह पुत्र दिलावरसिंह जाति जटसिख निवासी दलुवाला तहसील मोगा जिला फिरोजपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी **सायल**
श्री रविन्द कुमार गोदारा अधिवक्ता
गैरसायल

निर्णय दिनांक: 06/5/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा चक 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 9 / 9 की कुल 0.3600 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 106 / 77 की कुल 13.678 हैक्ट भूमि खरीद शुदा भूमि है जिसके आदराम पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी टोपरिया खातेदार काश्तकार थे। सायल वर्तमान में रोही मौजा चक 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 9 / 9 की कुल 0.3600 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 78 / 78 की कुल 6.2630 हैक्ट भूमि के गैरसायल संख्या 1 व 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 9 / 9 की कुल 0.3600 हैक्ट भूमि स्थित है तथा वादग्रस्त भूमि में सायल की महर्षि दयानन्द कॉलोनी के चिपकते हुए कृषि भूमि थी तथा उक्त कृषि भूमि के प्लॉट संख्या 104 के चिपते हुए गैरसायल संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि है। गैरसायल संख्या 1 व 2 सायल की कृषि भूमि मे अवैध रूप से दखल अन्दाजी कर रहे है जिससे सायल को न पुरा होने वाल नुकसान होगा इसलिए गैरसायल संख्या 1 व 2 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की वे सायल के भूमि में किसी प्रकार की दखलबाजी न करें।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि फैसला दावा गैरसायल के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें की रोही मौजा चक 4 बीकेके तहसील नोहर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता संख्या 9/9 की कुल 0.3600 हैक्ट भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अंतरिक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई की रोही मौजा चक 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 9/9 की कुल 0.3600 हैक्ट भूमि की अप्रार्थीगण मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण स0 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया की उत्तरदाता अपने नाम दर्ज भूमि पर काबिज है तथा प्रार्थी ने प्लाटों का जिक्र किया है प्लाटों बाबत वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ही नही है उत्तरादाता द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का संपरिवर्तन करवा रखा है प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर उत्तरदाता की भूमि में प्रवेश करवा चाहता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को देाहराते हुए कथन किया की रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 9/9 की कुल 0.3600 हैक्ट भूमि स्थित है तथा वादग्रस्त भूमि में सायल की महर्षि दयानन्द कॉलोनी के चिपकते हुए कृषि भूमि थी तथा उक्त कृषि भूमि के प्लॉट संख्या 104 के चिपते हुए गैरसायल संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि है। गैरसायल संख्या 1 व 2 सायल की कृषि भूमि मे अवैध रूप से दखल अन्दाजी कर रहे है जिससे सायल को न पुरा होने वाल नुकसान होगा अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला दावा स्थगन कन्फर्म के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की अप्रार्थी वाद भूमि का रिकार्डेड खातेदार है प्रार्थी अपनी स्वयं की वाद भूमि पर स्थगन जारी करवाकर हमारी संपरिवर्तन कि हुई भूमि पर काबिज होना चाहता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत कब्जा दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 9/9 की कुल 0.3600 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 106/77 की कुल 13.678 हैक्ट भूमि खरीद शुदा भूमि है जि[illegible] जाति जाट निवासी टोपरिया खातेदार काश्तकार थे। सायल वर्तमान में रोही [illegible] 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 9/9 की कुल 0.3600 हैक्ट [illegible] काश्तकार है तथा रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 78/78 की कुल 6.[illegible]0 हैक्ट भूमि के गैरसायल संख्या 1 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2 बहिब के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा करना चाहते है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि संपरिवर्तन करवा रखी है। सायल द्वारा अपनी स्वयं की भूमि पर स्थगन प्राप्त कर अप्रार्थी की भूमि पर काबिज होना चाहते है दोनो की रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार है सायल के मात्र कथनों के आधार पर की गैरसयाल उसकी भूमि पर काबिज होना चाहता है के आधार पर रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी को होगी न की प्रार्थी को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है सायल को गैरसायल का अपनी भूमि पर कब्जा करने का आदेशा है तो वह अपनी भूमि की पैमाईश करवा सकता है मात्र कथनों के आधार पर गैरसायल को निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है ।

उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 16.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/05/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:44 IST
Reason: SelfAttested